FORM NO. III
फर्दअहकाम
(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना ......

प्रार्थीनी	बनाम	विप्रार्थीगण
सोरमदेवी पत्नी गणपलाल जाति माली निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		1. सूजाराम पुत्र केशाराम जाति भील निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 2. भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा **251 A RTA**

मु0नं0 ..19..... / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2020	प्रार्थीनी सोरमदेवी की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री किशोरीलाल सोनी द्वारा विप्रार्थीगण सूजाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251A RTA का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक ......08/06/20.. को पेश हो। (प्रमोद सीरवी) सहायक कलक्टर, सिवाना	सोरमदेवी सुजाराम
08/06/20	पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी सूजाराम ने न्यायालय उपस्थित होकर अपनी खातेदारी में से प्रार्थीनी को रास्ता दिये जाने की सहमति दे दी है। TDR रिपोर्ट अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 19/06/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	
19/06/20	पत्रावली आज पेश हुई। TDR रिपोर्ट प्राप्त। अवलोकन पत्रावली की गयी। चूंकि विप्रार्थी सूजाराम द्वारा अपनी खातेदारी खेत मौजा [illegible] के खेत ख.नं. 1682 में से प्रार्थीनी को रास्ता दिये जाने की सहमति दे दी है तथा TDR उपखण्ड मौका रिपोर्ट है कि विप्रार्थी सूजाराम द्वारा बिना प्रतिफल के प्रार्थीनी को रास्ता दिये जाने की सहमति दी है। अतः TDR की मौका रिपोर्ट अनुसार 236	

दिनांक 16/06/20 को इस्तगासा पक्ष मुल्जिम
A to B करेगा लाल रासा जिले वाले
की तामील हो जाती है। मुल्जिम
तलबा के लिखाया जाकर खुला
न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली
निर्णय शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद सीरवी, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

मु.न. 19/2020

प्रार्थीनी

1. सोरमदेवी पत्नि गणपतलाल
   जाति माली निवासी पादरू
   तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सूजाराम पुत्र केशाराम
   जाति भील निवासी ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19/06/20

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम वावनगर पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना में खेत खसरा नम्बर 1681 रकबा 12.3024 हैक्टेयर की आई हुई है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, प्रार्थीनी के पाडौसी विप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 1682 रकबा 02.5738 मौजा वावनगर में से आ जा सकते हैं तथा इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। विप्रार्थी द्वारा हरबार बरसात के मौसम में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1681 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1682 मौजा वावनगर में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 सूजाराम स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि मौजा वावनगर पटवार क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1682 में से से रास्ता कटान करने हेतु सहमति दी गई।

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिर्पोट कमांक 236 दिनांक 16.06.2020 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा ग्राम पादरू से कांखी जाने वाली डामर रोड से लगता हुआ खसरा नम्बर 1682 में से खसरा नम्बर 1681 में आने जाने हेतु नजरी नक्शा परिशिष्ठ "अ" में दशार्ये मार्क A से B बरंग लाल रास्ता जो चौडाई में 14 फीट है की मांग की है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की उक्त जोत में पहुंचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

लम्बाई x चौडाई (50 x 2.5 गट्ठा) कुल रकबा 6 विस्वा है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण पक्का निर्माण या पेड़–पौधे नहीं हैं।

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरीलाल सोनी से बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, तहसीलदार सिवाना की मौका रिर्पोट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित रास्ता सबसे नजदीकी विकल्प है तथा प्रार्थीनी द्वारा वर्तमान में भी उक्त रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि विप्रार्थी सूजाराम पुत्र केशाराम द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर तथा तहसीलदार सिवाना की मौका रिर्पोट में अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1682 में से प्रार्थीनी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि बिना प्रतिफल के रास्ते हेतु दिये जाने की सहमति दी है। ऐसी स्थिति में अतः तहसीलदार सिवाना द्वारा खसरा नम्बर 1682 में से प्रस्तावित 06 विस्वा भूमि प्रार्थीनी को रास्ते के उपयोग में अपलिखित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिर्पोट कमांक 236 दिनांक 16.06.2020 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "लाल रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीनी की आराजी खेत खसरा संख्या 1681 ग्राम वावनगर में आने–जाने हेतु विप्राथी संख्या 01 के खेत ग्राम वावनगर के खेत खसरा नम्बर 1682 में से लम्बाई 50 गट्ठा व चौड़ाई 2.5 गट्ठा कुल रकबा 6 विस्वा रास्ते हेतु बरंग "लाल" संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीनी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीनी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीनी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीनी को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीनी को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/06/20 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)